इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2023—चैत्र 10, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05(CT) (6) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 27 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-16-2021-2-पांच (08), दिनांक 07 सितम्बर, 2021 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर एवं वाइन नियमों के अधीन जारी बी-3 (मध् विनिर्माण शाला अनुज्ञप्ति) की वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस, 05 लाख हेक्टो लीटर उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष तक 20,00,000/- (रूपये बीस लाख) प्रति वर्ष, 05 लाख हेक्टो लीटर से 10 लाख हेक्टो लीटर उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष हेतु 30,00,000/- (रूपये तीस लाख) प्रति वर्ष तथा 10 लाख हेक्टो लीटर प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन क्षमता हेतु 40,00,000/-(रूपये चालीस लाख) प्रति वर्ष विहित करती है ।

2- यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ–3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ-3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (6), दिनांक 31 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, dated 31/03/2023

No. F 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (6) In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 27 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this Department's Notification No. F-B-1-16-2021-2-V-(08), dated 07 September 2021, the State Government, hereby, prescribes the annual license fee for B-3 (Brewery license) issued under Madhya Pradesh beer and wine rules as, Rs. 20,00,000/- (Rupees twenty lakh) per year for production capacity up to 05 lakh hecto liters per year, Rs. 30,00,000/- (Rupees thirty lakh) per year for production capacity 05 lakh to 10 lakh hecto liters per year and Rs. 40,00,000/- (Rupees forty lakh) per year for production capacity more than 10 lakh hecto liters per year.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31/03/2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05(CT) (7) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,

1. नियम 4 के उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाता है :-

"(3-क) प्रदेश में संचालित बीयर विनिर्माण इकाई को उसकी अप्रयुक्त क्षमता के लिये किसी भी पंजीकृत कंपनी को, पट्टे पर दिया जा सकेगा जिसका वार्षिक कारोबार राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सीमा से अधिक हो ।"।

2- यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावशील समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ–3 / 3 / 4 / 0009 / 2023 / Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ-3 / 3 / 4 / 0009 / 2023 / Sec-2-05(CT) (7), दिनांक 31 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, dated 31/03/2023

No. F 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (7) in exercise of the powers conferred by section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. ii of 1915, the State Government, hereby, makes the following further amendment in Madhya Pradesh Beer and Wine Rules, 2002, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,

1- After sub rule (3) of rule 4 the following sub rule shall be inserted :-

"(3-a) A beer manufacturing unit operating in the state can be given on lease for its unutilized capacity to any registered company who is having annual turnover above the limit as may be notified by the State Government.".

2- This notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31/03/2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05(CT) (8) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश आसवनी नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

नियम 3 के उप नियम (11) में शब्द "अठारह लाख" के स्थान पर निम्नानुसार शब्द प्रतिस्थापित किये जाए -

"03 करोड बल्क लीटर प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता तक 20,00,000/- (रूपये बीस लाख), 03 करोड बल्क लीटर से 06 करोड़ बल्क लीटर प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता हेतु 30,00,000/- (रूपये तीस लाख) तथा छः करोड बल्क लीटर प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन क्षमता हेतु 40,00,000/- (रूपये चालीस लाख)"

2- यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ-3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ-3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (8), दिनांक 31 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, dated 31/03/2023

No. F 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (8) In exercise of the powers conferred by Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Distillery Rules, 1995, namely:-

AMENDMENT

In sub rule (11) of rule 3, for the words "eighteen lakhs" the following words shall be substituted –

"20,00,000/- (Rupees Twenty Lakhs) up to 03 Crore Bulk Liters per annum production capacity, 30,00,000/- (Rupees Thirty Lakhs) for 03 Crore Bulk Liters to 06 Crore Bulk Liters per annum production capacity and 40,00,000/- (Rupees Forty Lakhs) for production capacity of more than six crore bulk liters per annum."

2. This notification shall come into force from 1st April, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31/03/2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05(CT) (9) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-16-2021-2-पांच-07- दिनांक 31 मार्च, 2022 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश में उत्पादित फलों एवं मध्यप्रदेश में उत्पादित एवं संग्रहित शहद से मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन को 31 मार्च, 2026 तक के लिए आबकारी शुल्क से मुक्त करती है ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ -3/3/4/0009/2023/Sec-2 05(CT) भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ -3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (9), दिनांक 31 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, dated 31/03/2023

No. F 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (9) In exercise of the powers conferred by section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this Department's Notification No. B-1-16-2021-2-V-07, dated 31st March 2022, the State Government, hereby, exempts from excise duty till 31st March, 2026 the Wine manufactured in Madhya Pradesh using fruits cultivated in Madhya Pradesh and honey produced and collected in Madhya Pradesh.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31/03/2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05(CT) (10) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, विदेशी मदिरा नियम 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

"नियम 8 के उप नियम (1) के खंड (कक-10) में शब्द " एवं खजुराहो " को विलोपित किया जाता है ।" ।

2- यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ–3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ–3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (10), दिनांक 31 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, dated 31/03/2023

No. F 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (10) In exercise of the powers conferred by section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Foreign Liquor Rules, 1996, namely :-

Amendment

"In clause (aa-10) of sub rule (1) of rule 8, the words " and Khajuraho" shall be omitted.".

2. This notification shall come into force from 1st April, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31/03/2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05(CT) (11) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में-

1. नियम 8 के उपनियम (1) के खंड (ट-1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

   "(ट-1) एफ.एल.10-क (प्रदेश के बाहर निर्मित मदिरा के लिये केन्द्रीय गोदाम अनुज्ञप्ति).- यह अनुज्ञप्ति मध्यप्रदेश के बाहर विनिर्मित विदेशी मदिरा का प्रदेश में भण्डारण करने हेतु, मध्यप्रदेश के बाहर विदेशी मदिरा का विनिर्माण करने के लिये समुचित अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी तथा/अथवा इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/फर्म/कंपनी को प्रदान की जाएगी। ऐसा अधिकृत व्यक्ति/फर्म/कंपनी उसको स्वीकृत एफ.एल.10-क लायसेंस अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थापित एक से अधिक विदेशी मदिरा विनिर्माताओं/कंपनी के ब्राण्ड/लेबिल की विदेशी मदिरा भी आयात कर सकेगा । यह अनुज्ञप्ति प्रदेश में ऐसे स्थानों पर जहाँ विदेशी मदिरा भाण्डागार अवस्थित है, दी जा सकेगी। ऐसी अनुज्ञप्ति उक्त एक या अधिक स्थानों के लिए दी जा सकेगी । अनुज्ञप्तिधारी को केवल उन नामपत्रों (लेबल) की विदेशी मदिरा के शुल्क का भुगतान किए बिना, आयात/स्टाक करना अनुज्ञात किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश के बाहर समुचित अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित की जा रही है और जो आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के पास नियम 9 के अधीन पंजीकृत है । अनुज्ञप्तिधारी, एफ.एल. 6 अनुज्ञप्तिधारी को शुल्क का भुगतान किए बिना अपने स्टाक का विक्रय करेगा या उसका विदेशी मदिरा भाण्डागार में भण्डारण किए जाने के लिए अंतरण/परिवहन कर सकेगा ।"।

2. प्रारूप एफ.एल.10-क की शर्त क्रमांक 2 में शब्द "स्वयं अनुज्ञप्तिधारी द्वारा" विलोपित किया जाता है ।

3. प्रारूप एफ.एल.10-क की शर्त क्रमांक 4 में शब्द "अपने द्वारा विनिर्मित" विलोपित किया जाता है ।

4. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (11), दिनांक 31 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, dated 31/03/2023

No. F 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (11) In exercise of the powers conferred by Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996, namely: -

AMENDMENTS

In the said Rules, -

1. In place of clause (K-1) of sub-rule(1) of rule 8, the following clause shall be substituted, namely :-

   "(K-1)F.L. 10-A (Outside manufacturer's central godown licence)

   This licence shall be granted for the purpose of storage of foreign liquor in the State to a licensee holding an appropriate licence for the manufacture of foreign liquor outside Madhya Pradesh and/or to a person/firm/company authorized by him. Such authorized person /firm /company can import foreign liquor of more than one brand / label of foreign liquor manufacturers /company established outside the state of Madhya Pradesh under FL-10-A license granted to him. This licence can be given at such places in the state where foreign liquor warehouses are located. Such licence may be granted for one or more of the said places. The licensee shall be permitted to import/stock without payment of duty only those labels of foreign liquor that are being manufactured outside Madhya Pradesh under an appropriate licence and which are registered with the Excise Commissioner, Madhya Pradesh under Rule 9. He shall sell his stock without payment of duty to an F.L. 6 licensee or may transfer/transport it to 'Foreign liquor warehouse' for being stored therein.".

2. In condition number 2 of Form F.L.10-A the words "by the licencee himself" shall be omitted.
3. In condition number 4 of Form F.L.10-A the words "manufactured by him" shall be omitted.
4. This notification shall come into force from 1st April, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31/03/2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05(CT) (12) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 में तथा मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 9 के उप-नियम (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-16-2021-2-पांच (06) दिनांक 31 मार्च, 2022 को आंशिक रूप से अतिष्ठित करते हुये, सारणी-2 के अनुक्रमांक 1 तथा 3 को निम्नानुसार प्रति स्थापित करती है:-

संशोधन

अनुक्रमांक	मद	वार्षिक लेबल पंजीयन फीस
(1)	(2)	(3)
1-	विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर एवं वाईन) एफ.एल.-10-क लायसेंस अंतर्गत एक या एक से अधिक निर्माताओं के सभी लेबलो की समेकित पंजीयन फीस	रूपये 10,00,000/-
3-	विदेशी मदिरा (वाईन) एफ.एल.-10-क लायसेंस अन्तर्गत एक या एक से अधिक निर्माताओं के सभी लेबलो की समेकित पंजीयन फीस	रूपये 1,00,000/-

2- यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ--3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ--3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (12), दिनांक 31 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, dated 31/03/2023

No. F 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (12) In exercise of the powers conferred by section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and sub-rule (2) and (3) of Rule 9 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in partial supersession of this Department's Notification No.-B-1-16-2021-2-V (06), dated 31st March, 2022 issued in this behalf, the State Government hereby, substitute the serial number 1 and 3 of the Table-2 as follows:-

Amendment

S. No.	Item	Annual Label Registration Fee
(1)	(2)	(3)
1-	For Foreign Liquor (Spirit, Beer and wine) Under FL-10-A License, the consolidated label registration fee for all labels of one or more than one manufacturers.	Rs. 10,00,000/-
3-	For Foreign Liquor (Wine) Under FL-10-A Licence the consolidated label registration fee for all labels of one or more than one manufacturers.	Rs. 1,00,000/-

2- This notification shall come into force from 1st April, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31/03/2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05(CT) (13) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 66 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में उत्पादित हेरिटेज मदिरा को दिनांक 22-02-2023 से 07 वर्ष तक की अवधि के लिए आबकारी शुल्क तथा निर्यात फीस से मुक्त करती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ -3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ -3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (13), दिनांक 31 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, dated 31/03/2023

No. F 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (13) In exercise of the powers conferred by section 66 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, exempts the Heritage Liquor from excise duty and export fees for the period of 07 years from 22-02-2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31/03/2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05(CT) (14) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 25 तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-16-2021-2- पांच-(10) दिनांक 31-03-2022 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 01 अप्रैल 2023 से, आबकारी शुल्क की दरें, जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं से संबंधित है, सारणी के कॉलम 3 की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विहित करती है, अर्थात् :-

"सारणी

अनु. (1)	आबकारी-कर-योग्य वस्तुओं का विवरण (2)	आबकारी शुल्क की दर (3)
1.	**देशी मदिरा**	
	(25 डिग्री अन्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अन्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन)	रूपये 330/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट) जब प्रतिपेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य) हो	आबकारी शुल्क की दर
	(1) रूपये 800/- तक	रूपये 390/- प्रति प्रूफ लीटर
	(2) रूपये 801/- से 900/- तक	रूपये 440/- प्रति प्रूफ लीटर
	(3) रूपये 901/- से 1200/- तक	रूपये 525/- प्रति प्रूफ लीटर
	(4) रूपये 1201/- से 1400/- तक	रूपये 720/- प्रति प्रूफ लीटर
	(5) रूपये 1401/- से 1600/- तक	रूपये 810/- प्रति प्रूफ लीटर
	(6) रूपये 1601/- से 3150/- तक	रूपये 1015/- प्रति प्रूफ लीटर
	(7) रूपये 3151/- से 8150/- तक	रूपये 1590/- प्रति प्रूफ लीटर
	(8) 8150/- से अधिक	रूपये 2530/- प्रति प्रूफ लीटर
3.	असैनिक (सिविलियन) के लिए विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर	
	(क) बीयर एवं मानक सीलबंद बोतल/ केन में विक्रय की जाने वाली ड्राफ्ट(खुली) बीयर.	प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 130 प्रतिशत
	(ख) अन्य ड्राफ्ट(खुली) बीयर	रूपये 80/- प्रति बल्क लीटर
	(ग) Low Alcoholic Beverages (रेडी टू ड्रिंक) पेय:- 10 प्रतिशत (V/V तक एल्कोहल शक्ति वाले ऐसे Low	रूपये 750/- प्रति प्रुफ लीटर

Alcoholic Beverages (रेडी टू ड्रिंक) पेय जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (प्रति केस अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक) रूपये 700/- से अधिक हो.

4. **विदेशी मदिरा (वाईन)**

(क) मद्य (वाईन)	रूपये 110/- प्रति बल्क लीटर

5. **भांग (भाण्डागार से प्रदाय लेने पर)**

(क) भांग, भांग घोटा तथा भांग मिठाई दुकानों के अनुज्ञप्तिधारी के लिए	रूपये 150/- प्रति किलो ग्राम
(ख) उपरोक्त खंड (क) से भिन्न औषधि निर्माणकर्ता अनुज्ञप्तिधारी के लिए	रूपये 300/- प्रति किलो ग्राम

6. "रक्षा सेवा कार्मिकों" को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय आबकारी शुल्क, असैनिक (सिविलियन्स) हेतु रम के लिये दी जाने वाली शुल्क के 30 प्रतिशत की दर से तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट (बीयर) इत्यादि) के लिए दी जाने वाली शुल्क के 45 प्रतिशत की दर से प्रभारित की जाएगी.

स्पष्टीकरण - 1 विदेशी मदिरा (स्पिरिट) में सम्मिलित हैं, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कार्डियल, बिटर, तथा उनके मिश्रण तथा अन्य स्पिरिट युक्त निर्मितियां, जिसमें स्पिरिट मुख्य घटक हो.

स्पष्टीकरण - 2 माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, ऐल, स्टाउट, पोर्टर और साईडर आदि.

स्पष्टीकरण - 3 "रक्षा सेवा कार्मिकों से अभिप्रेत है, ऐसा रक्षा सेवा कार्मिक, जो रक्षा कैन्टीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं और उसमें सम्मिलित है, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिक तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक, जो संबंधित प्राधिकृत थोक रक्षा कैन्टीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं।"

7. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ-3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ-3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (14), दिनांक 31 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, dated 31/03/2023

No. F 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (14) In exercise of the powers conferred by section 25 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), and in supersession of this Department's notification no. F-B-1-16-2021-2-V-(10) dated 31-03-2022 the State Government, hereby, prescribes the rates of excise duty in so far as it relates to the excisable articles specified in column (2) of the table below, at the rates specified in the corresponding entries in column (3) thereof, with effect from 1st April 2023, namely : -

"TABLE

S.No. (1)	Description of Excisable Articles (2)	Rate of excise duty (3)
1.	**Country Spirit** (25 degree under proof Spiced Country Sprit and 50 degree under proof Plain Country Spirit)	Rs. 330/- per proof litre
2.	**Foreign Liquor (Spirit)** for Civilians When per case (12 quart bottles or equivalent) declared Ex-Foreign Liquor Warehouse price is,	Rate of excise duty
	(1) Upto Rs. 800/-	Rs. 390/- per proof litre
	(2) Rs. 801/- and upto Rs. 900/-	Rs. 440/- per proof litre
	(3) Rs. 901/- and upto Rs. 1200/-	Rs. 525/- per proof litre
	(4) Rs.1201/- and upto Rs. 1400/-	Rs. 720/- per proof litre
	(5) Rs.1401/- and upto Rs. 1600/-	Rs. 810/- per proof litre
	(6) Rs.1601/- and upto Rs.3150/-	Rs. 1015/- per proof litre
	(7) Rs.3151/- and upto Rs.8150/-	Rs. 1590/- per proof litre
	(8) Exceeds Rs. 8150/-	Rs. 2530/- per proof litre
3.	**Foreign Liquor (Malt) Beer for Civilians**	
	(a) Beer and Draught Beer sold in Standard sealed bottles/can.	130 percent of per case Ex-Foreign Liquor Warehouse price.
	(b) Other Draught Beer	Rs. 80/- per bulk litre
	(c) Low Alcoholic Beverages (Ready to drink), Which contains upto 10 percent of alcohol and the price (maximum upto 9 bulk litre per case) is more than Rs. 700/-	Rs. 750/- per Proof litre
4.	**Foreign Liquor (Wines)**	
	(a) Wines	Rs. 110/- per bulk litre
5.	**Bhang (On taking supplies from Warehouse)**	
	(a) For Licensee of Bhang, Bhang-Ghota and Bhang-Sweets.	Rs. 150/- per kilogram

(b) For Drug manufacturing licensee other than above clause (a) Rs. 300/- per kilogram

6. The excise duty on the Indian made foreign liquor issued to the defence services personnel shall be charged for Rum at the rate of 30 percent and for other indian made foreign liquor [Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Malt (Beer) etc.] at the rate of 45 percent of the duty payable for the civilians.

Explanation– 1 Foreign liquor (Spirit) includes Whisky, Brandy, Rum, Gin, Vodka, Liquor, Cordial, Bitter and their mixtures and other preparations, containing spirit as main ingredient.

Explanation– 2 Malt liquor includes Beer, Ale, Stout, Porter and Cider etc.

Explanation– 3 "Defence services personnel" shall mean defence service personnel receiving foreign liquor through the Defence Canteen Organization and includes the personnel of the Border Security Force, Indo-Tibetian Border Police and Central Industrial Security Force, receiving foreign liquor through the respective authorized whole sale military canteens."

7. This notification shall come into force from 1st April, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 31/03/2023

क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023-Sec-2-05(CT) (15) राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत विनिर्मित रुल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन किए बिना तत्काल किए जाएं:

अतएव, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खण्ड (ड), (च) तथा (ज) एवं उप-धारा (3) के परंतुक के साथ पठित धारा 63 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-1-01-2018- 2-पांच (15), दिनांक 31 मार्च, 2018 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक (14)-पांच-पृ.आ. दिनांक 7 जनवरी, 1960 में प्रकाशित रूल्स ऑफ जनरल एप्लीकेशन में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 1 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात:-

"1- दुकानों की स्थिति -

(1) (क) जिन क्षेत्रों में जनसंख्या 20,000 से अधिक है, मदिरा बिक्री की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 500 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं होगी.

(ख) जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 20,000 या उससे कम है, मदिरा बिक्री की कोई भी दुकान राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग अथवा राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सर्विस लेन के बाहरी किनारे से 220 मीटर से कम दूरी पर स्थित नहीं होगी.

(ग) राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग से मदिरा बिक्री की दुकान दृश्यमान नहीं होगी.

(घ) राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर मदिरा की उपलब्धता इंगित करने वाला साईन बोर्ड या विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा.

(ड.) मदिरा बिक्री की दुकान, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग से सीधे पँहुच योग्य नहीं होगी.

परन्तु, उप-नियम (1) के उपबंध किसी नगरीय निकाय (नगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत) की परिसीमा में स्थित किसी राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा किसी राज्य राजमार्ग के खण्ड/भाग में स्थापित/अवस्थित मदिरा दुकान पर लागू नहीं होंगे.

(2) किसी धार्मिक संस्था तथा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा कन्याओं के शासकीय छात्रावास से 100 मीटर की दूरी

तक मदिरा बिक्री की कोई दुकान (चाहे उसमें मदिरा का उपभोग अनुमत हो या न हो) अवस्थित नहीं होगी,

परन्तु उप-नियम (2) के उपबंध किसी धार्मिक संस्था तथा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा कन्याओं के शासकीय छात्रावास से 100 मीटर या उससे कम दूरी पर स्थित ऐसी बार अनुज्ञप्ति पर लागू नही होंगे, जो दिनांक 22 फरवरी, 2023 के पूर्व से वर्तमान स्थान पर विद्यमान रहे हों.

(3) किसी स्थल पर अनुज्ञप्त मदिरा दुकान का संचालन प्रारम्भ होने के उपरान्त, किसी भी समय उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कोई धार्मिक संस्था तथा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा कन्याओं के शासकीय छात्रावास 100 मीटर या उससे कम की दूरी के भीतर अस्तित्व में आते हैं तो मदिरा दुकान, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर स्थित नहीं समझी जाएगी:

स्पष्टीकरण इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(क) "शैक्षणिक संस्था से अभिप्रेत है, किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित या मान्यता प्राप्त कोई माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा कन्याओं के शासकीय छात्रावास.

(ख) "धार्मिक संस्था" से अभिप्रेत है, ऐसी संस्था जो किसी धर्म की प्रोन्नति के लिए हो और उसमें सम्मिलित है ऐसा मंदिर, मठ, मस्जिद, गिरिजाघर या सार्वजनिक धार्मिक पूजा का अन्य स्थान, जिनका मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी लोक न्यास द्वारा प्रबंध किया जाता हो, या उसके स्वामित्व में हो और उसमें अन्य ऐसी धार्मिक संस्थाएं सम्मिलित होंगी, जैसा कि राज्य सरकार आदेश द्वारा, इस निमित विनिर्दिष्ट करें.

(ग) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट दूरी का माप, दुकान के प्रवेश के मध्य बिन्दु से ऐसे निकटतम मार्ग से किया जाएगा जिससे कोई पदाति, (पिडेसट्रिअन) संस्था के निकटतम द्वार के मध्य बिन्दु तक यदि कोई चाहर दीवारी (बाउण्ड्री वाल) है और यदि कोई चाहर दीवारी (बाउण्ड्री वाल) नहीं है तो संस्था के निकटतम प्रवेश के मध्य बिन्दु तक पँहुचता है.".

2- यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

क्रमांक एफ-3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) भोपाल, दिनांक 31 मार्च, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक एफ 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (15), दिनांक 31 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal. dated 31/03/2023

No. F 3/3/4/0009/2023/Sec-2-05(CT) (15) the State Government considers it necessary that the following amendments in the Rule of General Application should be made under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 should be made at once without previous publication in the official Gazette;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (e), (f) and (h) of sub-section (2), and proviso of sub-section (3) of Section 62, read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act. 1915 (No. II of 1915) and in supersession of this department's Nonfiction No F-B-1-01-2018- 02-V-(15), dated 31st March, 2018, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Rules of General Application published under Notification No. (14) V-SR, dated 7th January, 1960, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules, for rule 1, the following rule shall be substituted, namely:-

1. **Location of shops,-**

(1) (a) In the areas with a population of more than 20,000 no shop for the sale of liquor shall be situated within a distance of 500 metres of the outer edge of the national or state highway or of a service lane along the highway.

(b) In the areas with a population of 20,000 or less no shop for the sale of liquor shall be situated within a distance of 220 metres of the outer edge of the national or state highway or of a service lane along the highway

(c) No shop for the sale of liquor shall be visible from a national or state highway.

(d) All signages and advertisements of the availability of the liquor shall be prohibited on national and state highway.

(e) No shop for the sale of liquor shall be directly accessible from a national or state highway:

Provided that, the provisions of sub-rule (1) shall not be applicable to a liquor shop situated/located in section/part of any national highway or any state highway within the limits of any Urban body (Municipal Corporation, Municipality and Nagar Panchayat).

(2) Any shop for the sale of liquor (whether consumption of liquor therein is permitted or not) shall not be situated up to a distance of 100 metres from religious institution, recognized middle school, high school, college and government girls hostel.

Provided that the provisions of sub-rule (2) shall not be applicable to such Bar licence which is situated at the present site at a distance of 100 meters or less from the religious Institution, recognized middle school, high school, college and government girls hostel since prior to 22nd February, 2023.

(3) After the start of operations of licensed liquor shop at any place, it shall not be deemed to be situated within prohibited distance referred to in sub-rule (2), if any religious Institution, recognized middle school, high school, college and government girls hostel come into existence at a distance less than 100 meters.

Explanation For the purposes of this rule-

(a) "Educational institution" means any middle school, high school, college and government girls hostel, managed or recognized by any local authority or the state government or the central government.

(b) "Religious institution" means an institution for the promotion of any religion and includes temple, math, mosque, church or other place of public religious worship which is managed or owned by a public trust registered under the Madhya Pradesh Public Trusts Act, 1951 or any other enactment for the time being in force and shall include such other religious institutions as the State Government may by order specify in this behalf.

(c) The distance referred to in sub-rule (2) shall be measured from the midpoint of the entrance of the shop along the nearest path by which a pedestrian ordinarily reaches at the, midpoint of the nearest gate of the institution if there is a boundary wall and if there is no boundary wall then the midpoint of the nearest entrance of the institution.

2. This notification shall come into force from 1st April, 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023